FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम (SDO) बायतु

बजरंगदास बनाम टिकमदास

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RTA नं 285/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/09/2021	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेतराम चारण ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/~~भू राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~ /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 1/12/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
01/12/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी पावती रसीद प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण [illegible] पीठासीन अधिकारी प्रशासन [illegible] अभियान-2021 के [illegible] मिसल इन्तजार होकर विप्रार्थी [illegible] 13/01/2022 को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:17 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक/वाद/2022

13/01/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत मेडा मेड आये हुए है प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेड व डोल आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत के मेडो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के मेडो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के मेडो का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइशबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमाइशबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 1611

दिनांकः– 13/01/22

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. बजंरगदास पुत्र घमण्डीदास
जाति साद, निवासी सांईयों की ढाणी,
पटवार मण्डल रतेउ,
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. टिकमदास पुत्र सुखरामदास वगैरा 4
जाति संत, निवासी सांईयों की ढाणी,
पटवार मण्डल रतेउ,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 285/2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – सांईयों की ढाणी, पटवार मण्डल – रतेउ, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1018/773 रकबा 2.7519 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 1612-16

दिनांकः– 13/01/2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का रतेउ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री बजंरगदास पुत्र घमण्डीदास
4. विप्रार्थी श्री टिकमदास पुत्र सुखरामदास वगैरा 4
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु